

भारतीय जैन संघटना

अल्पसंख्यक अधिकार व लाभ
जनजागृति सेमिनार

सुस्वागतम्

आईये अल्पसंख्यकता को समझें



आईये अल्पसंख्यकता को समझें

- हमें अल्पसंख्यक दर्जा कब मिला?
- क्या राज्य सरकार ने भी हमें यह दर्जा दिया? यदि हाँ तो कब ?
- क्या हमें अल्पसंख्यक प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी है?
- क्या अल्पसंख्यक योजनाओं की केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों की जानकारी है?
- क्या आपमें से किसी ने किसी तरह का लाभ प्राप्त किया है या प्रयास किया है?
- क्या आपको लगता है कि विषय के प्रति जैन समाज में जिज्ञासा का अभाव है?
- अल्पसंख्यकता को मात्र आर्थिक लाभों के संदर्भ में देखना योग्य नहीं होगा, अधिकारों को समझना आवश्यक
- क्या आप अल्पसंख्यक अधिकारों व लाभों की जानकारी चाहते हैं
- क्या आप चाहते हैं कि यह लाभ व अधिकार आपको भी मिले?
- ऐसे परिवार जो लाभों हेतु पात्रता रखते हैं उन तक जानकारी पहुंचाना हमारा सामाजिक कर्तव्य है

आईये अल्पसंख्यक अधिकारों
व लाभों को जाने समझें

अल्पसंख्यकता के अधिकार एवं लाभ

- शैक्षणिक संस्थाओं के लिए
- धार्मिक संस्थाओं के लिए
- व्यापारी वर्ग के लिये
- महिलाओं के लिए
- स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं (NGOs) के लिए
- विद्यार्थियों के लिए

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ



अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार

- धर्म या भाषा दोनों तरह के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार
- राज्य सरकार अनुदान स्वीकृति में किसी तरह का भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगी कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय से है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार

- अल्पसंख्यक समुदाय को उनके धर्म पर आधारित नैतिक शिक्षा देने का अधिकार

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ

- अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षणिक संस्थाओं को सरकारी नियमों एवं कायदों में अनेक छूट

अनुदान

- भारत सरकार की Infrastrucure development हेतु प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की आर्थिक अनुदान की विविध योजनाएँ

नियम

- सरकारी नियमों एवं कायदों में छूट के लाभ प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक दर्जा लेना आवश्यक

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ

शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा लेने हेतु आवश्यक प्रक्रिया

• निम्न दोनों points शैक्षणिक संस्थानों के संविधान/बाई- लॉज के उद्देश्यों के कॉलम में बढ़ाने हैं.

- इस ट्रस्ट/सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः अल्पसंख्यक जैन विद्यार्थियों के शिक्षण व सामान्यतः अन्य समुदायों के शैक्षणिक लाभों को सुलभ बनाने हेतु की गई है.
- जैन अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति संरक्षण व अल्पसंख्यक शैक्षणिक लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु यह संस्था कार्य करेगी.

• नियमों के विभाग में कहीं भी योग्य स्थान पर निम्न point जोड़ना है

- यह ट्रस्ट/सोसायटी अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत जैन अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध है.

ट्रस्ट/सोसायटी के संविधान/बाई- लॉज में संशोधन सम्बंधी नियमों के अनुकूल संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए तत्पश्चात चेरिटी कमिश्नर/रजिस्ट्रार सोसायटी से इसे स्वीकृत करा लें व संविधान/बाईलॉस के साथ इसे attach करें



अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ

अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ

- अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार होगी
- धार्मिक स्थलों, संस्थाओं, मंदिरों, तीर्थक्षेत्रों एवं ट्रस्टों का सरकारीकरण या अधिग्रहण आदि नहीं किया जा सकेगा अपितु धार्मिक स्थलों के समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शासन द्वारा किये जाएंगे
- मंदिरों, तीर्थ स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व समुदाय के हाथ में रहेगा

अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं के अधिकार व लाभ

- समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्टों की सम्पत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम से मुक्त रखा जा सकेगा (Subject to provisions of Rent Control Act & State's Trust/Society Acts)
- समुदाय द्वारा संचालित जिन संस्थाओं पर कानून की आड़ में बहुसंख्यकों ने कब्जा जमा रखा है, उनसे मुक्ति मिलेगी
- धर्मावलंबियों को बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किये जाने की स्थिति में सरकार उनकी रक्षा करेगी

धार्मिक संस्थानों को अल्पसंख्यक पात्रता

- मंदिर, स्थानक, तीर्थक्षेत्र तथा अन्य धार्मिक संस्थाएं जो पंजीकृत नहीं हैं, सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1860, बंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 या संबंधित राज्य के पंजीयन (Registration) अधिनियम के तहत पंजीयन आवश्यक
- पंजीकृत या पंजीकृत होने वाली संस्थाओं के संविधान, नियमावली या उपविधि आदि में यह उल्लेखित करना अनिवार्य होगा कि 'यह संस्था अल्पसंख्यक समुदाय विशेष के हितों के रक्षण हेतु स्थापित की गई है'
- संस्था के ट्रस्ट बोर्ड में संबद्ध अल्पसंख्यक समुदाय का दो तिहाई प्रतिनिधित्व आवश्यक
- पंजीकृत संस्थाएँ संशोधित संविधान को संबंधित अधिकारी से स्वीकृत कराएँ

धार्मिक संस्थानों को अल्पसंख्यक पात्रता

संस्थाओं को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया

• निम्न दोनों points सभी धार्मिक संस्थानों जैसे कि मंदिर, स्थानक, भवनों आदि के संविधान/बाई-लॉज के उद्देश्य कॉलम में बढ़ाने हैं।

- इस ट्रस्ट/सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः अल्पसंख्यक जैन समुदाय के धार्मिक व सामान्यतः अन्य समुदायों के धार्मिक-सामाजिक तथा धार्मिक-आध्यात्मिक लाभों को सुलभ बनाने हेतु की गई है।
- जैन अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति संरक्षण व अल्पसंख्यक धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों तथा लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु यह संस्था कार्य करेगी।

• नियमों के विभाग में कहीं भी योग्य स्थान पर निम्न point जोड़ना है

- यह ट्रस्ट / सोसायटी अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत जैन अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध है।

ट्रस्ट/सोसायटी के संविधान/बाई- लॉज में संशोधन सम्बंधी नियमों के अनुकूल संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए तत्पश्चात चेरिटी कमिश्नर/रजिस्ट्रार सोसायटी से इसे स्वीकृत करा लें व संविधान/ बाईलॉस के साथ इसे attach करें



अल्पसंख्यक व्यापारियों को लाभ

अल्पसंख्यक व्यापारियों को लाभ



राष्ट्रीय अल्पसंख्यक
विकास एवं वित्त
निगम, नई दिल्ली की
ऋण योजनाएं

अल्पसंख्यक व्यापारियों को लाभ

सावधिक ऋण (Term Loan)

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (National Minorities Development & Finance corporation) की व्यापार हेतु सावधिक ऋण योजना दो भागों में विभाजित है :
 - क्रेडिट लाईन 1
 - क्रेडिट लाईन 2
- निम्न क्षेत्रों के व्यापार हेतु ऋण उपलब्ध
 - कृषि व कृषि संबंधित
 - तकनीकी
 - छोटे-व्यापार
 - पारंपारिक व दस्तकारी
 - परिवहन व सेवाकीय

अल्पसंख्यक व्यापारियों को लाभ

क्रेडिट लाईन 1

- पात्रता
- पारिवारिक आय सीमा
ग्रामीणों हेतु Rs.98,000 और
शहरीजन् हेतु Rs.1.20
lakhs प्रतिवर्ष
- अधिकतम उपलब्ध ऋण
- Rs. 20 lakhs (प्रोजेक्ट कीमत
की अधिकतम 90 % राशि)
- ब्याज दर
- 6% प्रतिवर्ष

क्रेडिट लाईन 2

- पात्रता
- पारिवारिक आय सीमा
Rs.6.00 lakhs प्रतिवर्ष या कम
(OBC Creamy layer नियमों के
अधीन)
- अधिकतम उपलब्ध ऋण
- Rs.30 lakhs (प्रोजेक्ट कीमत
की अधिकतम 90 % राशि)
- ब्याज दर
- 8% पुरुषों हेतु प्रतिवर्ष
- 6% महिलाओं हेतु प्रतिवर्ष

अल्पसंख्यक व्यापारियों को लाभ

नियम एवं शर्तें

- स्थगन अवधि (Moratorium period) 6 माह
(स्थगन अवधि का तात्पर्य उस अवधि से है जिसकी समाप्ति के पश्चात धन वापसी (Repayment in EMIs) प्रारंभ होगी)
- धन वापसी अवधि (Repayment Period) 5 वर्ष
- व्यवसाय / उपक्रम हेतु स्वीकृत कुल ऋण राशि का 95% देय
- आधार कार्ड आवश्यक अन्यथा ऋण हेतु चयन नहीं होगा
- सामान्यतः लघु राशि (Small Amount) के ऋण स्वीकृत होंगे
- प्रत्येक चॅनलाईजिंग एजेन्सी (SCA) द्वारा 70% रू.5 लाख से कम, 20% रू. 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम एवं 10% 10 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये जायेंगे

महाराष्ट्र चॅनलाईजिंग एजेन्सी

- Maulana Azad Minorities Financial Development Corpn. Ltd.

अल्पसंख्यक व्यापारियों को लाभ



प्रधानमन्त्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम

Prime Minister's Employment Generation Program

योजना संचालन

- सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MOMSME) प्रशासन, द्वारा होता है

उद्देश्य

- सम्पूर्ण देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वयं-रोजगार उपक्रमों, योजनाओं एवं लघु उद्यमों की संभावनाओं को उत्तेजना देकर रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करना ..

सुविधाओं के प्रकार

- सावधिक ऋण (Term Loan) एवं कैश क्रेडिट सुविधा

Prime Minister's Employment Generation Program

वित्तीय सहायता की प्रमात्रा एवं प्रकार

लाभार्थी वर्गीकरण	लाभार्थी अंशदान	ऋण पर उपलब्ध सब्सिडी की दर	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
विशेष वर्ग Special(including) SC/ST, MINORITIES, Ex- Service Man, Handicapped etc.	5%	25%	35%

Prime Minister's Employment Generation Program

■ वित्तीय सहायता

- उत्पादन इकाइयों हेतु अधिकतम स्वीकार्य लागत रू. 25 लाख
- व्यावसायिक एवं सेवाकीय क्षेत्रों में अधिकतम स्वीकार्य लागत रू. 10 लाख

- परियोजना लागत की शेष राशि बैंक द्वारा सावधिक ऋण (Term Loan) के स्वरूप में उपलब्ध होगी

Prime Minister's Employment Generation Program

पात्रता

व्यक्तियों हेतु

- कोई भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक 18 वर्ष या अधिक आयु का
- योजना के तहत किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति लाभ लेने हेतु पात्र
- यदि उत्पादन क्षेत्र में परियोजना लागत रू. 10 लाख से अधिक एवं व्यवसाय क्षेत्र में रू. 5 लाख से अधिक हो तो न्यूनतम शिक्षा 8वीं तक आवश्यक

संस्थाओं हेतु

- सेल्फहेल्प ग्रुप जिन्होंने अन्य कोई योजना में लाभ नहीं लिया हो
- संस्थान जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत हो
- को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं चॅरिटेबल ट्रस्ट जो उत्पादन गतिविधि में संलग्न हो

Prime Minister's Employment Generation Program

कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency)

- योजना का क्रियान्वयन मात्र राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेंसी खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग (KHADI VILLAGE & INDUSTRY COMMISSION) मंबई द्वारा होगा जो खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है.
- राज्यों के स्तर पर योजना क्रियान्वयन राज्य निर्देशालय (KVIC) राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (KVIB) तथा उद्योग केंद्र (DISTRICT INDUSTRY CENTER) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा.
- शहरी क्षेत्रों में यह योजना जिला उद्योग केंद्रों (D I C) द्वारा क्रियान्वयित होगी

ऑनलाईन आवेदन (Online Application)

- PMEGP e-portal पर 'www.kviconline.gov.in'

Prime Minister's Employment Generation Program

वित्तीय संस्थाए (Financial Institution)

- 26 पब्लिक सेक्टर बैंक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- स्वीकृत सहकारी बैंक
- निजी क्षेत्र की अनुसूचित बैंक
- भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (Small Ind. Develop. Bank Of India)

वित्तीय सहायता की अन्य शर्तें

- बैंक द्वारा सामान्य: व्यावसायिक ऋण पर लागू ब्याज दर लिया जाएगा.
- स्थगन अवधि ऋण भुगतान की अवधि 3 से 7 वर्ष होगी, जो बैंक द्वारा तय की जायेगी.
- बैंक रू. 10 लाख तक के ऋण पर लाभार्थी से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार जमानती सुरक्षा हेतु आग्रह नहीं करेंगे.
- ऋण की प्रथम किश्त तभी अदा होगी जब लाभार्थी आवश्यक दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तथा उसका 10% या 5% का अंशदान जो भी लागू हो बैंक में जमा करा दे.
- दो सप्ताह का प्रशिक्षण आवश्यक अन्यथा स्वीकृत आवेदन आयोज्य करार होगा



अल्पसंख्यक महिलाओं के लाभ की योजनाएँ

अल्पसंख्यक महिलाओं के लाभ की योजनाएँ

- महिला समृद्धि योजना
- नई रोशनी
- सीखो और कमाओ

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली

महिला समृद्धि योजना

- 20 महिलाओं से मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा
- ग्रुप की महिलाओं को सरकार से ट्रेनिंग का प्रावधान
- ट्रेनिंग की अवधि 6 माह
- ट्रेनिंग के साथ साथ प्रत्येक माह 1000 रू. भत्ता
- यह योजना मायक्रो-क्रेडिट से संलग्न है
- ट्रेनिंग के पश्चात सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को मायक्रो-क्रेडिट योजना द्वारा
 - क्रेडिट लाईन 1 : RS 1.00 लाख तक की क्रेडिट - 7% वार्षिक ब्याज दर
 - क्रेडिट लाईन 2 : RS 1.50 लाख तक की क्रेडिट - 8% वार्षिक ब्याज दर

अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास की योजना 'नई रोशनी' भी 'महिला समृद्धि योजना' समान है

‘सीखो और कमाओ’

- युवा बेरोजगारों विशेषकर महिलाओं के रोजगारलक्षी कौशल विकास की योजना
- आयु सीमा - 15 से 35 वर्ष तक
- शैक्षणिक योग्यता - कक्षा 10 उत्तीर्ण या अधिक
- प्रशिक्षण अवधि - 3 माह
- पारिश्रमिक (भत्ता) - रू.1,500 प्रति माह प्रशिक्षण अवधि हेतु
मुख्यतः कम्प्युटर प्रशिक्षण संबंधित योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित तथा NCVT द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित
- रोजगार सुलभ कराने की 80% तक की गॉरन्टी

अल्पसंख्यक अशासकीय संस्थाओं (NGOs) को लाभ

Micro financing की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजना : क्रेडिट लाईन 1

- संस्था ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हो
- संस्था (NGOs) को अधिकतम रू.20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य हेतु रू.1.00 लाख
- संस्था (NGOs) को 1% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों को 7% ब्याज दर से देय होगा
- संस्था (NGOs) को इस हेतु राज्य स्तरीय एजेन्सी (SCA) को नियत प्रार्थना प्रपत्र में आवेदन करना होगा
- धनवापसी अवधि (repayment period)- 3 वर्ष

अल्पसंख्यक अशासकीय संस्थाओं (NGOs) को लाभ

वित्तीय सहायता की योजना

- व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्था के प्रति प्रशिक्षणार्थी रू.2,000 प्रति माह 6 माह की अवधि देय होगा
- संस्था (NGO) को 80% प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाने की गॉरन्टी देनी होगी

बजार विपणन सहायता (Marketing assistance) की योजना

- शिल्प उत्पादन की प्रदर्शनी हेतु संस्थाओं (NGOs) को प्रति स्टॉल के आधार पर वित्तीय सहायता



अल्पसंख्यक विद्यार्थियों
हेतु सहायता योजनाएँ

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु सहायता योजनाएँ

- छात्रवृत्ति
- ऋण(कम ब्याज दर पर)
- अध्येतावृत्ति
- आर्थिक सहायता
- कोचिंग

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु सहायता योजनाए

- प्री-मेट्रीक छात्रवृत्ति योजना
- पोस्ट-मेट्रीक छात्रवृत्ति योजना
- मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना
- छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
- फ्री-कोचिंग की विविध योजनाएं
- कक्षा 11 एवं 12 विज्ञान प्रवाह के विद्यार्थियों हेतु फ्री कोचिंग-न्यू कम्पॉनेन्ट योजना
- 'नई उड़ान' आर्थिक सहायता की योजना
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना
- 'पढ़ो परदेश' विदेश शिक्षण हेतु ब्याज अनदान की ऋण योजना
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की शैक्षणिक ऋण योजनाएं

प्री-मेट्रीक स्कॉलरशिप

पात्रता

- कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी
- कुल पारिवारिक आय रू. 1 लाख से अधिक नहीं

छात्रवृत्ति की राशि

- कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी हेतु
- रू.500 प्रवेश शुल्क
- रू.3,500 ट्यूशन शुल्क (Tuition Fees Rs. 350X10 Months)
- प्राप्य (Receivable) वार्षिक - कुल शुल्क राशि रू 4,000

निर्वहन भत्ते (Maintenance Allowance) की राशि

- कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी रू. 1,000 (Rs.100X10 Months)
- केवल कक्षा 6 से 10 तक के आवासीय विद्यार्थियों (Hosteller) हेतु रू 6,000 (Rs. 600X10 Months)

पोस्ट - मेट्रीक स्कॉलरशिप

पात्रता

- कक्षा 11 व आगे के कोर्स (डिप्लोमा, स्नातक, अधिस्नातक एवं पी.एच.डी.) तक के सभी विद्यार्थी
- कुल पारिवारिक आय रू 2 लाख से अधिक न हो

छात्रवृत्ति की राशि

- रू. 7,000 प्रवेश एवं ट्युशन शुल्क कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थी हेतु
- रू.10,000 प्रवेश एवं ट्युशन शुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थी हेतु
- रू. 3,000 प्रवेश एवं ट्युशन शुल्क (डिप्लोमा, स्नातक एवं अधिस्नातक) कर रहे विद्यार्थी हेतु
- कक्षा 11 व 12 एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आवासीय विद्यार्थियों को रू 380 तथा दैनिक विद्यार्थी को रू 230 प्रतिमाह
- स्नातक एवं अधिस्नातक डिग्री कोर्स के आवासीय विद्यार्थियों को रू 570 तथा दैनिक विद्यार्थी को रू 300 प्रतिमाह

मेरिट-कम-मीन्स स्कोलरशीप

पात्रता

- तकनिकी एवं व्यवसायिक कोर्स (B.Tech, M.Tech, MCA, MBBS, DBS, CA, CS, LLB, LLM, HMCT etc.) में अध्ययनरत विद्यार्थी
- कुल पारिवारिक आय रू. 2.5 Lakh से अधिक न हो

छात्रवृत्ति की राशि

- रू.20,000 प्रति शैक्षणिक वर्ष - कोर्स शुल्क हेतु

निर्वहन भत्ता (Maintenance allowance)

- रू. 5,000 प्रति शैक्षणिक वर्ष - दैनिक विद्यार्थी हेतु
- रू.10,000 प्रति शैक्षणिक वर्ष - आवासीय (Hosteller) विद्यार्थी हेतु

प्रिमियर शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को संपूर्ण 100% शुल्क अदा होगा <http://www.minorityaffairs.gov.in>

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां

स्कॉलरशिप के सामान्य

नियम एवं

ऑनलाईन आवेदन मार्गदर्शन

स्कोलरशिप के सामान्य नियम एवं ऑनलाईन आवेदन मार्गदर्शन

- ऑनलाईन आवेदन 'www.scholarships.gov.in' पर करना होगा
- किये गए ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (नेशनल पोर्टल से प्राप्त करें) जो मांगे गये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ शिक्षण संस्थान में जमा करनी होगी
- विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष नवीनीकरण आवेदन (Renewal application) करना आवश्यक
- गत वार्षिक परीक्षा में 50% या अधिक अंक आवश्यक
- कुल वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो
- छात्र किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो

स्कोलरशिप के सामान्य नियम एवं ऑनलाईन आवेदन मार्गदर्शन

- एक परिवार के अधिकतम 2 विद्यार्थी एक समय में लाभान्वित होंगे
- अल्पसंख्यक होने की पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं. विद्यार्थी द्वारा सादे कागज़ पर स्वघोषणा मान्य
- सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक आय का प्रमाणपत्र आवश्यक. विद्यार्थी द्वारा सादे कागज़ पर स्व-घोषणा अमान्य
- विद्यार्थी जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है उस संस्थान का इस योजना के तहत पंजीकरण (Registration) आवश्यक
- आवेदन की अंतिम तिथी वेबसाइट पर प्रतिवर्ष अंकित की जाती है
<http://www.minorityaffairs.gov.in/scholarship>

स्कोलरशिप के सामान्य नियम एवं ऑनलाईन आवेदन मार्गदर्शन

- Online आवेदन करने हेतु खुलने व बंद होने की तिथी की सूचना BJS Minority Updates Whatsapp service से प्राप्त करें
- प्रवेश एवं ट्यूशन शुल्क (Fee) तथा निर्वहन भत्ते (Maintenance allowance) की कक्षा 1 से उपर सभी कक्षा के विद्यार्थियों को देय सम्पूर्ण राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा होगी
- बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में उसी राज्य में होना चाहिये जिसमें वह अध्ययनरत है
- छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के पश्चात छात्रवृत्ति योजना की शेष अवधि हेतु विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने का (पात्रता नियमों के अधीन) अधिकारी होगा
- सभी छात्रवृत्ति योजनाओं में 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं हेतु आरक्षित

छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची

- विद्यार्थी का फोटो (स्वयं सत्यापित)
- पारिवारिक आय का सरकारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र (राज्य के नियमों के अधीन)
- अल्पसंख्यक दर्जे की सादे कागज़ पर विद्यार्थी द्वारा स्वघोषणा
- गत परीक्षा की मार्कशीट विद्यार्थी द्वारा स्वयं सत्यापित
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अदा किये गए शुल्कों की रसीद
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास का प्रमाण

महत्वपूर्ण—

- बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का राष्ट्रीयकृत बैंक में उसी राज्य में होना चाहिये
- आधार कार्ड बैंक से लिंक हो व बैंक खाता डोरमेन्ट न हो
- उच्च आय वर्ग आवेदन न करें
- सरकारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्राप्त करें
- सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थान संबद्ध छात्रवृत्ति योजना में पंजीकृत है
- सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थान ने ऑनलाईन वेरिफिकेशन कर दिया है
- ऑनलाईन आवेदन अवधि प्रति वर्ष जून से सितम्बर माह तक प्रायः—रहती है

MINORITY SCHOLARSHIPS
(Under Prime Minister's 15 point
program)

ON-LINE APPLICATION PROCESS
ON NATIONAL PORTAL
www.scholarships.gov.in

SCHOLARSHIP SCHEMES

- **MINORITY** (अल्पसंख्यक छात्र)
 - - प्री-मेट्रीक स्कॉलरशिप
 - - पोस्ट-मेट्रीक स्कॉलरशिप
 - - मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप

- **DISABLES** (दिव्यांग छात्र)
 - - प्री-मेट्रीक स्कॉलरशिप
 - -पोस्ट-मेट्रीक स्कॉलरशिप
 - - स्कालरशिप टॉप क्लास एज्युेशन स्कॉलरशिप

www.scholarships.gov.in

Tue Jun 13 15:19:25 IST 2017

For Academic Year 2017-18

| Home | A- A A+ Hindi



National Scholarship Portal

Ministry Of Electronics & Information Technology,
Government of India



Home

About Us

Complaints ▾

Services ▾

FAQ

Mail us

Search...



New User? Register



Login to Apply



Apply for Renewal



Helpdesk

Candidates can contact the Help Desk for resolution of the technical problems

0120 - 6619540

Official Login

On-Board Schemes

M/O Minority Affairs ▾

✓	Pre Matric Scholarships Scheme for Minorities	Open till 31-08-2017	Guidelines	FAQ
✓	Post Matric Scholarships Scheme for Minorities	Open till 31-08-2017	Guidelines	FAQ
✓	Merit Cum Means Scholarship For Professional and Technical Courses CS	Open till 31-08-2017	Guidelines	FAQ

D/o Empowerment of Persons with Disabilities ▾

www.scholarships.gov.in

The screenshot shows the homepage of the National Scholarship Portal. At the top, there is a navigation bar with 'SCHOLARSHIP' and 'FELLOWSHIP' tabs, and the text 'For Academic Year 2018-19'. Below this is the header section featuring the Government of India logo, the text 'NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL Ministry Of Electronics & Information Technology, Government of India', and links for 'New Registration' and 'Login'. A secondary navigation bar includes 'Home', 'About Us', 'Services', 'FAQ's', 'Complaints', 'Institute Login', and 'Officer's Login'. The main banner area has a large heading 'Apply for a Scholarship Today!' and a sub-heading 'Department of Persons with Disabilities'. It also features the slogan 'National Scholarship Portal Every Student Matters, Every Student Counts!' and buttons for 'SEARCH FOR INSTITUTE' and 'DASHBOARD'. The URL 'https://scholarships.gov.in' is displayed at the bottom of the banner. Below the banner, there are sections for 'Latest Updates' and 'Applications for the Academic', along with a grid of scheme categories: 'Central Schemes', 'UGC Schemes', 'AICTE Schemes', and 'State Schemes'. The bottom of the page shows a taskbar with various application icons and system tray icons.

बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

- 9 से 12 वीं की छात्राओं हेतु
- पारिवारिक आय सीमा Rs. 2 लाख
- गत वार्षिक परीक्षा में 50% अंको या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य
- छात्रा का 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य
- पारिवारिक आय का सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आय-प्रमाणपत्र आवश्यक
- आय का प्रमाणपत्र यदि स्थानीय भाषा में होतो उसका हिन्दी या अंग्रेज़ी में स्वहस्ताक्षरित अनुवाद साथ में लगाना आवश्यक
- कक्षा 9 व 10 की छात्राओं को 10,000/- (Payable in two instalments)
- कक्षा 11 व 12 की छात्राओं को 12,000/- (Payable in two instalments)
- दूसरी किश्त अगली कक्षा में प्रवेश लेकर प्रमाण प्रस्तुत करने पर

छात्रवृत्ति में फीस, पुस्तकों का क्रय खर्च, स्टेशनरी व उपकरण क्रय खर्च तथा हॉस्टल खर्च आदि उपरोक्त राशी में देय होंगे.

बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

आवेदन प्रक्रिया

- योजना का क्रियान्वयन मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के scholarship portal से होगा.
- सभी छात्रों को 'www.maef.nic.in' से ऑनलाईन फॉर्म भरना होगा
- आवेदन की प्रिंट प्रति मांगे गए दस्तावेजों के साथ मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के दिल्ली कार्यालय को निश्चित अवधि में प्रेषित करनी होगी.

मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन,
मौलाना आज़ाद केम्पस, चेम्सफोर्ड रोड,
नई दिल्ली 110055

- प्रथम बार आवेदन पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी होगी व आवंटित रजिस्ट्रेशन नंबर प्रतिवर्ष नवीनीकरण आवेदन हेतु प्रयोग करना होगा.
- आवेदन खुलने की तिथियों की जानकारी समाचार पत्रों तथा वेबसाइट 'www.maef.nic.in'

ऑनलाईन आवेदन

- ऑनलाईन आवेदन के Resource Persons(प्रशिक्षकों) द्वारा पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन करने की सेवाएं देने हेतु BJS प्रतिबद्ध हैं
- नये Resource Person (प्रशिक्षक) जून तथा जुलाई, 2019 में तैयार किये जायेंगे
- आवेदन खुलने की तिथियों की जानकारी हेतु BJS Minority Updates Whatap post देखते रहें तथा Resource Person श्री अक्षय विकमशी ख्रामगांव M-7875889898 & 962001002 से जानकारी प्राप्त करें

Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme

- टेक्नीकल तथा प्रोफेशनल कोर्स जैसे इन्जीनियरिंग, कानून (Law), मेडीकल, प्रबंधन (Management), इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि की प्रवेश परीक्षाएँ (Entrance Exams)
- प्रतियोगात्मक परीक्षाएँ जो केन्द्र व राज्य सरकारों की ग्रुप A, B एवं C या समकक्ष पदों व सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों हेतु
- आवश्यक शिक्षण एवं प्रशिक्षण निजी कम्पनियों में नौकरी पाने हेतु व अन्य व्यवसायलक्षी कोर्स जिनकी अवधि 9 माह से अधिक न हो

Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme

अनुशिक्षण शुल्क: (Coaching fees)

- प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के ग्रुप A, B व C प्रवेश , तकनीकी, प्रबंधन व व्यवसायलक्षी कोर्स प्रवेश परिक्षाएँ रू. 20,000 से 1 लाख कोचिंग शुल्क कोचिंग संस्थान को अदा की जायेगी
- निर्वहन भत्ता (Maint. Allowance) रू.2500 प्रति विद्यार्थी

नियम एवं पात्रता

- विद्यार्थी, प्रत्याशी की कुल पारिवारिक आय रू 6 लाख से अधिक नहीं
- प्रत्याशी योजना के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षणरत हो

नियम

- निर्वहन भत्ता विद्यार्थियों को तथा प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षण संस्थान को अदा होगा
- प्रशिक्षण कोर्स की अधिकतम स्वीकृत समयावधि 9 माह होगी
- योजना के तहत प्रशिक्षण का लाभ प्रत्याशियों को मात्र एक बार ही प्राप्त होगा

निःशुल्क कोचिंग की विविध योजनायें (New component under the scheme)

विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की कक्षा 11 व 12 की तैयारियाँ योजना

- उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, आंध्रप्रदेश एवं दिल्ली प्रत्येक राज्य से 100 कुल 1000 विद्यार्थी
- जिनके पास छात्र/छात्राओं हेतु अलग Hostel सुविधाएं हैं व कोचिंग संचालित कर रहे हों ऐसी संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण संस्था के रूप में अधिकृत किया जाता है
- चयन सर्वाधिक गुणांक CGPA या merit list के आधार पर होगा 76% से कम गुणांक या समकक्ष ग्रेड से नीचे के विद्यार्थियों का चयन नहीं होगा
- कोर्स के पूर्ण होने पर इन्जीनियरिंग डिग्री, मेडिकल डिग्री आदि की प्रवेश परीक्षा आवश्यक रूप से देनी होगी
- वित्तीय सहायता की दर प्रत्येक विद्यार्थी हेतु रू 1 लाख प्रतिवर्ष होगी जो संस्थान को अदा की जायेगी

Nai Udaan - Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SPSC, SSC

पात्रता

- विद्यार्थी, प्रत्याशी की कुल पारिवारिक आय रू 6 लाख से अधिक नहीं

सहायता-राशि

- Rs.1 Lakh संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
- Rs.50,000 राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर (राजपत्रित पद)
- Rs. 25,000 कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर (अराजपत्रित पद)

प्रावधान

- कुल 2000 सहायताओं का प्रावधान वर्ष 2018-19 हेतु है

Nai Udaan - Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SPSC, SSC

नियम

- यह लाभ मात्र एक बार देय होगा अर्थात कोई भी पात्रता धारण करने वाला प्रत्याशी इस लाभ का उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकेगा
- साथ ही केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा इस तरह की दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा
- प्राथमिक परीक्षा (Preliminary exam) उत्तीर्ण करने वाले प्रत्याशी अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाईट 'www.naiudaan-moma.gov.in' पर 30 दिन में आवेदन करेंगे

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना

फॅलोशिप की अवधि

पंचवर्षीय एकीकृत फॅलोशिप योजना में M.Phil एवं Ph.D. हेतु शेष 3 वर्ष प्रतिवर्ष प्रति छात्र फॅलोशिप की देय राशि:

प्रत्याशी	फॅलोशिप प्रतिवर्ष	आकस्मिक व्यय
JRF	25,000x12	Rs.10,066
SRF	28,000x12	Rs.22,000

पात्रता

- परिवार की कुल वार्षिक आय रू.6 लाख से अधिक नहीं
- प्रत्याशी ने विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान में M.Phil या Ph.D हेतु निर्धारित पात्रता प्राप्त कर आवश्यक पंजीयन करा लिया हो
- फॅलोशिप हेतु उनका चयन होगा जो केन्द्र, राज्य सरकार या यूजीसी द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता प्राप्त न कर रहे हों
- JRF एवं SRF हेतु Pre M.Phil एवं Pre Ph.D. के नियम लागू होंगे
- आवेदन की अंतिम तिथी वेबसाईट www.scholarship.gov.in पर प्रतिवर्ष अंकित की जाती है. आवेदन UGC की वेबसाईट पर होगा

पढो परदेश - शिक्षण ऋण पर रियायती ब्याज की योजना

पात्रता

- विद्यार्थी ने अधिस्नातक, एम.फिल. तथा पी.एच.डी. स्तर के स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विदेश स्थित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लिया हो
- पारिवारिक कुल आय 6 लाख से अधिक न हो.
- पदवी तक शिक्षा भारत में ही पूरी हुई हो
- विद्यार्थी ने भारतीय बैंक संगठन से संबंध किसी भी Scheduled बैंक से कर्ज प्राप्त किया हो

ब्याज राहत की दर (Rate of Interest Subsidy)

- शिक्षण ऋण पर विद्यार्थी द्वारा चुकाए जाने वाले-ब्याज को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
- अवकाश अवधि (moratorium period) की समाप्ति के पश्चात मूल राशि पर ब्याज प्रत्याशी को चुकाना होगा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम (NMDFC) की शैक्षणिक ऋण योजना

क्रेडिट लाईन 1

■ पात्रता

- पारिवारिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में Rs.98,000 और शहरी क्षेत्र में Rs.1.20 lakhs प्रतिवर्ष

■ अधिकतम उपलब्ध ऋण

- Rs.20.00 Lakhs Technical, Professional & Job Oriented Degree Courses', कोर्स अवधि 5 वर्ष अधिकतम @ Rs. 4.00 Lakh प्रतिवर्ष, देश में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु
- Rs.30.00 Lakhs अनुस्नातक (Post Graduation) एवं P.hD. आदि, कोर्स अवधि 5 वर्ष अधिकतम @ Rs. 6.00 Lakh प्रतिवर्ष, विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु

■ ब्याज दर

- 3% प्रतिवर्ष

क्रेडिट लाईन 2

■ पात्रता

- पारिवारिक आय सीमा Rs.6.00 लाख प्रतिवर्ष या कम (OBC Creamy layer नियमों के अधीन)

■ अधिकतम उपलब्ध ऋण

- Rs.20.00 Lakhs Technical, Professional & Job Oriented Degree Courses', कोर्स अवधि 5 वर्ष अधिकतम @ Rs. 4 Lakh प्रतिवर्ष, देश में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु
- Rs.30.00 Lakhs अनुस्नातक (Post Graduation) एवं P.hD. आदि, कोर्स अवधि 5 वर्ष अधिकतम @ Rs. 6.00 Lakh प्रतिवर्ष, विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु

■ ब्याज दर

- 8% विद्यार्थी हेतु
- 5% विद्यार्थिनी हेतु

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम (NMDFC) की शैक्षणिक ऋण योजना

नियम

- पाठ्यक्रम / कोर्स पूर्ण होने के पश्चात 6 माह या नौकरी व्यवसाय में जुड़ने (जो भी पहले हो) ऋण का किश्तों में भुगतान मय ब्याज के अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में

सूचना

- योजना का कार्यान्वयन राज्यों के अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम या (NMDFC) की राज्यस्तरीय चैनलाईजिंग एजेन्सीयों के माध्यम से होता है जिनके सभी जिला मुख्यालयों में कार्यालय है
- पूर्ण जानकारी एवं राज्यस्तरीय चैनलाईजिंग एजेन्सीयों के संपर्क हेतु NMDFC की वेबसाइट www.nmdfc.nic.in visit करे

महाराष्ट्र चैनलाईजिंग एजेन्सी

- Maulana Azad Minorities Financial Development Corpn. Ltd.

महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन

अल्पसंख्यक दर्जा एवं आय प्रमाणपत्र

■ अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र

- स्कुल लिविंग सर्टीफिकेट अथवा
- सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा **
- स्व-घोषणा (प्रतिज्ञापत्र)

■ पारिवारिक आय प्रमाणपत्र

- स्व-घोषणा (प्रतिज्ञापत्र) (राज्य विशेष के नियमों के अधीन)
अथवा
- सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र

नोट - आयकर दाता रिटर्न के आंकड़ों का ध्यान रखें

अल्पसंख्यक दर्जा स्व-घोषणा प्रपत्र

SELF DECLARATION OF MINORITY COMMUNITY BY STUDENTS DECLARATION

I, _____ Son/Daughter/of _____
____ Resident of (full
address) _____

_____ hereby declare that I belong to
the _____
(Muslims/Sikhs/Christians/Buddhists/Jains and Zoroastrians (Parsis)
which is a notified minority community as per Section 2(c) of National
Commission for Minorities Act, 1992).

Date : _____

Place : _____

Signature of Candidate: _____

Name of Candidate: _____



अधिक जानकारी प्राप्त
करने हेतु
वेब-साइट्स

अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु वेब-साइट्स

www.minorityaffairs.gov.in

www.scholarships.gov.in

NMDFC : www.nmdfc.org

Maulana Azad : www.maef.nic.in

www.naiudaan-moma.gov.in

National Scholarships Portal:
<https://scholarships.gov.in/main.do>



आपकी जिज्ञासाएं एवं समाधान

आपकी जिज्ञासाएं एवं समाधान

संपर्क करें



BJS Minority Helpdesk

at

helpminority@bjsindia.org

Minority Benefits Up-date Service



For WhatsApp Registration :
Please SMS your
Name, Mobile no., Email id.,
City and State to
7769082288



VECTOR

www.shutterstock.com • 586381418

महत्वपूर्ण मुद्दा जैन जनसंख्या

जैन जनसंख्या

जैन जनगणना

- क्या हमें ज्ञात है कि हमारी वास्तविक जनसंख्या अखिल भारतीय स्तर पर कितनी है?
- 2011 के सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई हमारी जनगणना क्या सही है?
- क्या वास्तव में हम पूरे देश में मात्र 44.5 लाख ही हैं या अधिक है?
- हमारी वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 2 करोड़ होनी चाहिए
- प्रत्येक दशक के प्रारम्भ में राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 1951 से हो रही है, किन्तु हमारी जनसंख्या का आंकड़ा वास्तविक जनसंख्या से सदैव ही बहुत कम आता है

अखिल भारतीय धार्मिक जनगणना 2011

All India Religion Census Data 2011

Religion	Percentage	Estimated	Total
All Religion	100.00 %	121 Crores	1,210,854,977
Hindu	79.80 %	96.62 Crores	966,257,353
Muslim	14.23 %	17.22 Crores	172,245,158
Christian	2.30 %	2.78 Crores	27,819,588
Sikh	1.72 %	2.08 Crores	20,833,116
Buddhist	0.70 %	84.43 Lakhs	8,442,972
Jain	0.37 %	44.52 Lakhs	4,451,753
Other Religion	0.66 %	79.38 Lakhs	7,937,734
Not Stated	0.24 %	28.67 Lakhs	2,867,303

अखिल भारतीय धार्मिक जनगणना - तुलनात्मक अध्ययन

Religious group	Population % 1951	Population % 1961	Population % 1971	Population % 1981	Population % 1991	Population % 2001	Population % 2011 ^[69]
Hinduism	84.1%	83.45%	82.73%	82.30%	81.53%	80.46%	79.80%
Islam	9.8%	10.69%	11.21%	11.75%	12.61%	13.43%	14.23%
Christianity	2.3%	2.44%	2.60%	2.44%	2.32%	2.34%	2.30%
Sikhism	1.79%	1.79%	1.89%	1.92%	1.94%	1.87%	1.72%
Buddhism	0.74%	0.74%	0.70%	0.70%	0.77%	0.77%	0.70%
Jainism	0.46%	0.46%	0.48%	0.47%	0.40%	0.41%	0.37%
Zoroastrianism	0.13%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.06%	n/a
Other religions / No religion	0.43%	0.43%	0.41%	0.42%	0.44%	0.72%	0.9%

जैन जनसंख्या

क्या कारण हैं ?

- हमने कभी विचारा ही नहीं कि राष्ट्रीय जनगणना हमारा राष्ट्रीय और सामाजिक उत्तरदायित्व है
- आवाज़ ही नहीं उठाई कि हमारी जनसंख्या का आंकड़ा कम क्यों
- सामाजिक उत्तरदायित्वों की हमारी सोच आज भी अपरिपक्व
- जिज्ञासाओं का अभाव

धार्मिक जनगणना - अनुपातिक लाभ की दर

Religious Community	Based on 2001 Census	Based on 2011 Census
Muslim	71.38	73.68
Christian	12.38	11.89
Sikh	09.91	08.90
Buddhist	04.13	03.61
Jain	02.18	01.90
Parasi	00.02	00.02
Total	100.00	100.00

BJS MISSION CENSUS 2021

BJS MISSION CENSUS 2021

उद्देश्य

- सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय जनगणना 2021 में जैन समाज की वास्तविक जनसंख्या दर्शाई गई है
- जनसंख्या का आंकड़ा गलत आने से जैन समाज को होने वाली हानियों से बचाना
- जैन समाज के सामाजिक आधार को सुदृढ़ बनाना

कार्य प्रणाली

- राष्ट्रीय जनगणना हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है यह प्रचार प्रसार करना व इसके लिए सोशल, प्रिंट व एलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना
- जैन समाज को इस उत्तरदायित्व के विषय में जागृत करना
- राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज के युवाओं को प्रशिक्षित कर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जैन परिवार ने धर्म और जाती के कॉलम में जैन मय कोड के लिखवाया है
- इस हेतु देश की बड़ी छोटी सभी संस्थाओं को साथ में लेकर इस अभियान को सफल बनाना
- जैन समाज के प्रत्येक सदस्य से कर्तव्य निर्वहन अपेक्षित

Thanks

Bhartiya Jain Sanghata

SCHOLARSHIPS, EDUCATION & BUSINESS LOANS FOR MINORITY IN MAHARASHTRA

SCHEMES OF MAHARASHTRA STATE GOVERNMENT

BUSINESS LOAN

Prime Minister's Employment Generation Programme

- Under the Prime Minister's Employment Generation Programme, manufacturing project with an investment of upto Rs.25 lakhs and service projects with an investment of upto Rs.10 lakhs are provided financial assistance as loans from public sector banks, regional rural banks or IDBI. Upto 90% of project cost

Prime Minister's Employment Generation Programme

PMEGP ONLINE APPLICATION FOR INDIVIDUAL APPLICANT

- **Online application**“www.kviconline.gov.in’
- **First read Guidelines for Filling the Online PMEGP Application**

BUSINESS LOAN

Seed Money Scheme (SMS)

- Equity or seed money is provided in the form of soft loans
- For establishing an industry or service business with a project cost of upto Rs.25 lakhs
- Seed money assistance of 15% and 20% of project cost to SC/ST or OBT/NT/VT/ Handicapped
- The maximum amount of seed money provided is Rs.3.75 lakhs
- Rate of interest on the seed money extended is 6% p.a. with a holiday period of 3 years.

BUSINESS LOAN

District Industries Centre Loan Scheme

- The District Industries Center Loan Scheme provides financial assistance to generate self employment.
- Margin money is provided for those units where investment in plant and machinery does not exceed Rs.2 lakhs for towns and rural areas having population of less than 1 lac
- Assistance of upto 20% of the total investment or a maximum of Rs.40,000 is provided to Entrepreneurs belonging to the general category.
- Entrepreneur belonging to scheduled caste & scheduled tribe, assistance of upto 30 % of total fixed capital investment or a maximum of Rs. 60000/- is provided.
- The loan must be repaid back with a 4% interest rate within 7 years.

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

- 1) योजनेसाठी पात्रता व अटी काय आहेत ?
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- अर्जदाराने माध्यमिक शालांत परीक्षा महाराष्ट्र राज्यातून उत्तीर्ण केलेली असावी.
- अर्जदाराच्या पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.६.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदार इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभार्थी नसावा.
- नतनीकरणासाठी अर्जदाराने पढील वर्षात प्रवेश घेतलेला असणे आवश्यक आहे

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

- २) शिष्यवृत्तीची रक्कम किती आहे ?
- सदर योजनेंतर्गत तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रम तसेच वैद्यकीय व अर्धवैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रतिवर्ष रु. २५,०००/- किंवा प्रत्यक्ष वार्षिक शैक्षणिक शुल्क यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येते
- ३) अर्ज कसा करावा ?
- सदर योजनेचा अर्ज सादर करण्याचे वेळापत्रक व जाहिरात दरवर्षी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय व संचालक वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द करण्यात येते. सदर वेळापत्रकानुसार संकेतस्थळांवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठी खालील संकेत स्थळांवर क्लिक करा.
www.dmer.org
www.dte.org.in

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

- ४) शिष्यवृत्तीची रक्कम कशा प्रकारे मिळेल ?
- पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम E.C.S. /N.E.E.T द्वारे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेटपणे जमा करण्यात येते.
- ५) शिष्यवृत्तीशी संबंधित अडचणी / अधिक माहितीसाठी कोणाकडे संपर्क साधावा ?
- वैद्यकीय व अर्ध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्तीसाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन शासकीय दंतु महाविद्यालये व रुग्णालय इमारत चौथा मजला, सेंट जार्जस रुग्णालये आवार, मुंबई-400001 आणि तांत्रिक व व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्तीसाठी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय 3 महापालिका मार्ग, मुंबई-400 001 यांचेकडे संपर्क साधावा.
- ६) योजनेशी संबंधित शासननिर्णय कोणता आहे ?
- अल्पसंख्यांक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अविवि- २०११/ प्र.क्र.४४/का-६ दि.१४/१०/२०११. सदर शासन निर्णय याच संकेतस्थळावर “शासन निर्णय” या सदराखाली उपलब्ध आहे.

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

DOCUMENTS TO BE ATTACHED/UPLOADED

- Photograph -Scan copy of passport size photograph
- Educational Certificate -As per the current studying course copy of certificates of educational qualification
- Income and Minority declaration -Affidavit on non-judicial stamp paper or income certificate from the employer,
- if any (school leaving certificate can also be consider as proof of Minority) or Self Declaration (Format for the same is given on website)
- Proof of permanent residence -Copy of Domicile Certificate/Aadhaar Card Number /Election Card etc.
- Bank Account Number -Copy of only that page of student's own bank account passbook / cancelled cheque leaf
- Aadhaar Card Number (UID Number) should be Seeded / Linked with submitted Bank Details)

For Renewal of Scholarship :

- Only Aadhaar Card Number , income declaration and mark sheet of previous examination.

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

Courses for Scholarship :

- The professional and Technical courses
Diploma / Degree in Engineering/Technology
UG & PG (B.E. / B. Tech/M. E. / M. Tech),
Pharmacy (B. Pharm / M. Pharm),
Architecture & Town Planning (UG & PG),
Hotel Management & Catering Technology,
Applied Art & Craft (UG & PG), MCA,
MBA/MMS, B. Tech Agri, etc.

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

A. Process to make Fresh Application :

- Online Application on '[www.dtemaharashtra.gov.in/ scholarships](http://www.dtemaharashtra.gov.in/scholarships)'
- In order to apply for this freship, follow the steps given below-
Step 1: Click W/site to register as a new user. (**Note:** Candidate should have a mobile number registered with their Aadhaar card to ensure seamless and fast application process.)
Step 2: Complete the Aadhaar authentication process either through OTP or biometric.
Step 3: The candidates will receive an OTP on their registered mobile number if they opt for OTP authentication.
Step 4: Complete the registration process by filling in all required details.
Step 5: [Log in](#) using username or password.
Step 6: Complete the application process for the scholarship. <http://www.buddy4study.com/scholarship/scholarship-scheme-for-students-of-minority-communities-maharashtra-2017-18>

B. Process to make Renewal Application :

- The eligible candidates whose scholarship is sanctioned in last academic year List is available on website/to the institute) and admitted in current academic year in the same institute for the same course (i.e. DP/UG/PG course for which scholarship is sanctioned for year 2015-16) by filling the online application form by using their sanctioned Application Id of last year and password through candidate login/registration.

राज्यशासनची 12वीं नंतरच्या सर्व अभ्यासक्रम (कला, वाणिज्य, विज्ञान) अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ति

- Boys and girls belonging to Christian, Muslim, Sikh, Buddhist, **Parsi & Jain community**.
- Residents of Maharashtra state, studying presently in Under Graduate & Post Graduate post HSc courses in Arts Science & Commerce.
- **Eligibility:**
 - domicile in Maharashtra State,
 - passed SSC from Maharashtra, does not get any other scholarship,
 - total income of family not more than 2.5 lakhs,
 - .
- .

राज्यशासनची 12वीं नंतरच्या सर्व अभ्यासक्रम (कला, वाणिज्य, विज्ञान) अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ति

• Documents:

- Passport size photo
- Attested certificates SSC onwards
- Income cert from employer/Govt. competent authority
- School leaving certificate
- Proof of permanent address
- Attested copy of domicile certificate
- Attested copy of ration card, electricity bill, telephone bill, passport, election card etc.
- Advance receipt of payment.
- Bank Pass Book (first page) copy

राज्यशासनची 12वीं नंतरच्या सर्व अभ्यासक्रम (कला, वाणिज्य, विज्ञान) अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ति

• Application Form

- Download Application Form from 'www.dhepune.gov.in'
- Fillup the form & submit with respective college alongwith required documents

• Amount Scholarship

- Rs. 5,000.00 (Five thousand)

➤ General

- For renewal applicant must have admitted in next year
- 30% reserved for girl students.
- For details

see: www.dtemaharashtra.gov.in/scholarships



Maulana Azad Minorities Financial Development Corporation Ltd., Mumbai ★

2.0 ★★☆☆☆ 2 Google reviews

Corporate Office

[Website](#)

[Directions](#)

Address: 2nd Floor, D.D. Building, Old Customs House, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai, 400023

Hours: **Closing soon** · 10:30AM–5:45PM ▼

Phone: 022 2267 2293

[Suggest an edit](#) · [Own this business?](#)

Maulana Azad Minorities Financial Development Corpn. Ltd.

Various schemes of loan

- **Indira Gandhi Kisan & Mahigeer Yojana**
 - Loan upto Rs. 1 lakh
- **Rajiv Gandhi Educational Loan**
 - Loan upto Rs. 5 lakhs
 - Eligibility : Family Income Rs. 81,000 & 1,03,000 p.a. respectively for rural and urban areas
 - Interest Rate 3%
- **Maulana Azad Education loan scheme**
 - Loan upto Rs. 2.5 lakhs
 - Eligibility : Family Income Rs. 2.5 lakhs p.a.

शैक्षणिक कर्ज योजना

शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात .याची सविस्तर माहिती कृपया या महामंडळाच्या माहितीमध्ये पहावी

EDUCATION LOAN

www.mamfdc.org

8



Home | Staff Login | Contact Us

Search this website

Search



**Maulana Azad Minorities
Financial Development Corporation Limited, Mumbai**

(A Govt. of Maharashtra Undertaking)



मौलाना आज़ाद शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा : 2.50 लाखापर्यंत

अत्यल्प व्याजदर : 3% द.सा.द.शे.

सुलभ परतफेड : शिक्षण संपल्यानंतर 6 महिन्याने पुढील 5 वर्षात

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न :

शहरी/ग्रामीण विभाग : 2,50,000 पेक्षा कमी

शैक्षणिक कर्ज योजना

पात्रता

- अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा. मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, पारशी, बुध्दीष्ट व जैन समाजांचा समावेश.
- अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
- वयोमर्यादा किमान 18 ते 32 वर्ष
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.2.50 लाखापेक्षा कमी.

EDUCATION LOAN

www.mamfdc.org

8



[Home](#) | [Staff Login](#) | [Contact Us](#)

Search this website

Search



**Maulana Azad Minorities
Financial Development Corporation Limited, Mumbai**

(A Govt. of Maharashtra Undertaking)



राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा : 5.00 लाखापर्यंत

अत्यल्प व्याजदर : 3% द.सा.द.शे.

सुलभ परतफेड : शिक्षण संपल्यानंतर 6 महिन्याने पुढील 5 वर्षात

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न :

शहरी विभाग : 1,03,000 पेक्षा कमी

ग्रामीण विभाग : 81,000 पेक्षा कमी

वयोमर्यादा : 16 ते 32 वर्षे

राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजना

- कर्ज मर्यादा - रु.5 लाखापर्यंत
- व्याजदर - फक्त 3 %
- 100 % कर्ज
- परतफेड : शिक्षणपूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यापासून पुढील 5 वर्ष

पात्रता

- अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा. मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, पारशी, बुध्दीष्ट व जैन समाजाचा समावेश.
- अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
- वयोमर्यादा किमान 16 ते 32 वर्ष
- कटंबाचे वार्षिक उत्पन्न
शेहरी भागासाठी - रु.1,03,000/- पेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी -रु.81,000/- पेक्षा कमी.

राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजना

राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे -

- विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक सांक्षातिक कागदपत्रांच्या दोन प्रती
- अल्पसंख्यांक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
- महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी पुरावा
(आधारकार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक (Passport)/बँकेचे पासबुक/ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही एक)
- ओळखपत्र : अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे (आधारकार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक (Passport)/बँकेचे पासबुक/ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही एक)
- उत्पन्न प्रमाणपत्र :
कटंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार/तलाठी यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/ शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास फॉर्म नं.16 .
- विहित नमुन्यातील अर्जदार/जामिनदाराचे हमीपत्र
- बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे/वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे /वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मूळ प्रतीतील शपथपत्र.
- जामिनदार :
एक सक्षम जामिनदार (सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/बँक किंवा खाजगी क्षेत्रातील आयकर भरणारी व्यक्ती) आणि स्थावर (Immovable) मालमत्ता असल्यास गहाण (Mortgage) अथवा जंगम (Movable) मालमत्ता असल्यास तारणगहाण (Hypothecate) करून घेणे. (मालमत्ता मुल्यांकन पत्र, मालमत्तेची माहिती - 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा)
- शैक्षणिक संस्थेचे शुल्कपत्रक (फी स्ट्रक्चर), वसतिगृह/घरमालकाचे भाडेपत्रक व खानावळ (मेस) चे दरपत्रक.
- **नोट:-** दारिद्र्य रेषेखालील उमेदवारासंनी दारिद्र्य रेषेखाली असल्याबाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.



Maluana Azad Minorities Financial Development corporation Ltd. Mumbai

2nd Floor, D.D. Building, Old Customs House, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai - 400023 Maharashtra
Tel No. 022-22653080 (for Education) , 022-22633351 (for Education), 022-22672293 (For Admin)
Fax No. 022-22672294, Email id : help@mamfdc.org, contact@mamfdc.org, Website : www.mamfdc.org



शासनाच्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्ज व विविध योजनासंदर्भात आपल्या जिल्ह्यातील खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा.

District Address

AHAMEDNAGAR

Shri Arvind Siddharth Kamble
Plot No.93, Bazroj, HUCD
Near Gangadev Mandir, Dilli Gate
Ahmednagar
9405422100
ahmednagar@mamfdc.org
Thursday, Friday

AMARAVATI

Smt. Farzana Parveen Abdul
Sattar
2nd floor, Jagdamba Aapte
Near Om Fataka Bhandara
Gandhi Chawk, Amaravati
880470644
Amravati@mamfdc.org
All working days

AKOLA

Shri. Sanjay Baliram Pahurkar
Near Adarsh Vidyalaya
Adarsh colony, Akola
9764857574
akola@mamfdc.org
All working days

AURANGABAD

Shri. Zaheer Shaikh
4th floor, Sahkar Bhawan
Mondha Road, (old Mondha)
Near Jaafar Gate, Aurangabad
8888227266 / 9923775319
Aurangabad@mamfdc.org
All working days

DHULE

Shri. Pitamber Pandit Patil
Near DIC, Behind MSEB office
Ashok Nagar, Dhule
7588007560
dhule@mamfdc.org
Thursday, Friday

GADCHIROLI / GONDIA

Shri. Nafis Shaikh
9822662986
Gadchiroli@mamfdc.org
Friday, Saturday

HINGOLI

Shri. Shivaji Ganpati Raut
c/o. Pathan ayub khan usman
khan, Naik Nagar, Beside swami
samath Kendra, Hingoli
9763203288
hingoli@mamfdc.org
All working days

JALGAON

Shri. Pitambar Pandit patil
Akashwani chawk, Behind Grahk
Panch., Maharashtra Jivan
Pradhikaran Building
Jalgaon - 425101
02257-2233601
7588007560
jalgaon@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

Jailkhana, Gajipt, Nagpur
9519781779
Nagpur@mamfdc.org
All working days

NANDED

Shri. Sadanand Nivruti Sarkate
Near Shinikentan Prathmik
School, Chaitannya Nagar Road
Raj corner, Nanded
9822020075
nanded@mamfdc.org
all working days

NANDRBAR

Shri. Sunil Bhimrao Bhalerao
Plot No.21, Gazi nagar,
Dhlechawphuli, Navapur Road,
Nandurbar
7841878769
nandurbar@mamfdc.org
Thursday, Friday

NASIK

Shri. Sunil Bhimrao Bhalerao
Flat no.12, Bhaktinagar
Apartment, Behind sahil lance,
wadala Road, Nasik - 422011
784187869
nasik@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

OSMANABAD

Shri. Rizwan Alim Pathan
House no.27/457, samta colony

'O'wing, flat no.1, behind kismet
bakery, Uddhamnagar, Ratnagiri
8087337988
ratnagiri@mamfdc.org
all working days

SANGLI

Shri. Uday Pandhurang Kamble
Near old city services
Behind Sangli bus stand, Kolhapur
Road, Sangli
9766568826
sangli@mamfdc.org
Thursday, Friday

SATARA

Smt. Tabassum mulla
2nd floor, 37, raviwar peth
Kamal niwas apartment
Pavai naka, lonar galli, satara
9763915346
satara@mamfdc.org
Monday, Tuesday

SINDHUDURG

Shri. Anand Dhondiram Naik
8087337988
sindhudurg@mamfdc.org
contact to shri anand naik

SOLAPUR

Shri. Chandmiya Birajdar
R.No.133, 1st floor,
Forest chandni chawk, Near Hotel
Welcome, Solapur
0217-2318033/ 9850664621

4th floor, Sahkar Bhawan
Mondha Road, (old Mondha)
Near Jaafar Gate, Aurangabad
8888227266 / 9923775319
Aurangabad@mamfdc.org
All working days

BEED

Shri. Syed. Imran Quadri
2nd floor, Kkhatib Manzil
Rahematnagar, Near S.P.office
Beed
8421255580
beed@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

BHANDARA

Shri. Taufik Ansari
Near Urdu school, Khristi Mahal
ward, Khristiwada, Bhandara
9372001661
bhandara@mamfdc.org
Monday

BULDHANA

Smt. Jyoti Janardhan Hiwale
Etape Layout, Near Akshay Gen.
Store, Near State Bank Branch
(Sundarkhed)
Chikhli Road, Buldhana
7507412924
buldhana@mamfdc.org
All working day

CHANDRAPUR

Shri. Nafis Shaikh
Bhaskar Marutrao Tupkar
Near Hospital ward, Ramala Talav
Road, Near Jethpura Gate,
Chandrapur
9822662986
Chandrapur@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday

Jalgaon - 425101
02257-2233601
7588007560
jalgaon@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

JAINA

Shri. Syed Imran Quadri
Ambad Road, Near S.P.office
Patrakar Bhavan Buildig, Jalana
8421255580
jalna@mamfdc.org
Thursday, Friday

KOLHAPUR

Shri. Uday Pandhurang Kamble
3rd floor, Jaydhal Building
1511, C-Ward, Laxmipuri
Kolhapur
9766568826
Kolhapur@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

LATUR

Shri. Arvind Siddharth kamble
3rd floor, Diwanji complex
Ambejogai Road, Latur
8405422100
latur@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

MUMBAI

Shri. Sandesh Laximan Kadam
3rd floor, Malhotra House,
Opp.GPO, Near Kabootar Khana,
Mumbai 400001
9821608894
Mumbai@mamfdc.org
All working days

NAGPUR

Shri. Kardar
2nd floor, Hajj House, Old

nasik@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
Saturday

OSMANABAD

Shri. Rizwan Alim Pathan
House no.27/457, samta colony
Osmanabad
9923789079
osmanabad@mamfdc.org
Friday, Saturday

PARBHANI

Shri. Eknath G. Kamble
1st floor, prashaskiya imarat,
Opp. Akhwand shah dargah,
Vakil colony, shivaji nagar,
parbhani
9423473028
Pbn.mamfdc@gmail.com
parbhani@mamfdc.org
all working days

PUNE

Shri. Rizwan alim pathan
647, bhawani peth, Golden jubilee
technical institute, Primises, near
poona college, pune
9923789079
pune@mamfdc.org
Monday, Tuesday, Wednesday,
thursaday

RAIGAD (ALIBAUGH)

Shri. Shaikh shakil sheikh shaukat
c/o abdul wahab longed
2nd floor, chawdi mohalla, old post
galli, Opp. Makarwadi, Alibaugh,
Dist. Raigad (Alibaugh) 402201
9730545219
raigad@mamfdc.org
Saturday

RATNAGIRI

Shri. Anand Dhondiram Naik
Tara Vaibhai apartment

SOLAPUR

Shri. Chandmiya Birajdar
R.No.133, 1st floor,
Forest chandni chawk, Near Hotel
Welcome, Solapur
0217-2318033/ 9850664621
solapur@mamfdc.org
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday

THANE

Shri. Avinash madan mhatre
Maulana abdul kalam azad library,
1st floor, near noori caters, Maulana
azad road, Rabodi no.1, Rabodi
naka, dist. Thane-400601 (e)
8805158387
thane@mamfdc.org
Thursday, Friday

WARDHA

Shri. Oves ansari
Sardar bhagat singh road,
Ramnagar, wardha
9519781779
wardha@mamfdc.org
all working days

WASHIM

Smt. Jyoti bhagat
Shri gajanan khadiikar, new IUDP
colony, Near ITI college, washim
9763008010
washim@mamfdc.org
all working days

YAVTMAL

Shri. Mukund kisanrao kathane
Ekveera chawk
Near jai ambe kirana shopee
Darvaha road, Yavatmal
9767774643
yavatmal@mamfdc.org
Monday, Tuesday

Benefits and schemes for Minorities by Govt of Maharashtra

Rajiv Gandhi Jeevandayee Yojana: Scheme: Coverage all expenses relating to hospitalization of beneficiary upto Rs. 1,50,000/- per family per year in any empanelled Hospital subject to package rates in cashless basis through health cards. **Beneficiary Families:** Those holding yellow ration card, Antyodaya Anna Yojana Card, Annapurna card and orange ration card. These would be identified through Rajiv Gandhi Jeevan health card issued by Govt of Maharashtra or based on yellow or orange card issued by Civil Supplies Dept. The scheme would provide 972 surgeries / therapies / procedures along with 121 follow up packages in 29 identified specialized categories. Surgeries related to heart, kidneys, lungs and other surgeries are covered under this Yojana. **For detailed information contact yojana doctors at hospitals.**

THANKS